न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 39 /2022

उनवान

जीवण सिंह पिता मदन सिंह राजपूत निवासी तहनाल हाल निवासी भीलवाड़ा

– प्रार्थी

बनाम

1– हरलाल पुत्र मांगू गुर्जर निवासी तहनाल
2–6 गजेन्द्र, तमन्ना, तुलसी, पूजा, पिंकी पिता श्यामलाल हरिजन निवासी तहनाल
7– रेखा पुत्री श्यामलाल जरिये प्राकृतिक संरक्षक सरपरस्त माता लाली पत्नी श्यामलाल हरिजन निवासी तहनाल
8– रानू पुत्री श्यामलाल हरिजन निवासी तहनाल
9– लखन पुत्र श्यामलाल जरिये प्राकृतिक संरक्षक सरपरस्त माता लाली पत्नी श्यामलाल हरिजन निवासी तहनाल
10– लाली पत्नी श्यामलाल हरिजन निवासी तहनाल
11–12 सुमन, सोन पिता श्यामलाल हरिजन निवासी तहनाल
13– गोपाल पुत्र कालू हरिजन निवासी तहनाल
14– सहनी पत्नी कालू हरिजन निवासी तहनाल
15– गीता शर्मा पत्नी ओमप्रकाश ओझा ब्राह्मण निवासी शाहपुरा
16–18 जगदीश, राधेश्याम, शंभु पिता सुवा ब्राह्मण निवासी शंभुपुरा
19– सुमित्रा पत्नी जटा शंकर ओझा निवासी शाहपुरा
20–23 कैलाश, कृष्णगोपाल, बाबुलाल, बालकृष्ण पिता रामपाल महाजन निवासी तहनाल
24–26 प्रहलादराय, मिश्रीलाल, रूकमा पिता नाथुलाल ब्राह्मण निवासी तहनाल
27– कमला देवी पत्नी मानसिंह लोढा निवासी शाहपुरा
28–35 गोवर्धन सिंह, पुष्पा देवी, महेन्द्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मीदेवी, लाडदेवी, विमला देवी, सुशीला देवी पिता हनुमान सिंह लोढा निवासी शाहपुरा
36– गोपाल सिंह पिता लादु सिंह राव निवासी कुराछो का खेड़ा तहसील आसीन्द
37–44 गीता, नारू, मण्डोतरा, रसाली, रामकुंवरी, रामपाल, शारदा, सीता पिता धन्ना बावरी निवासी बोरड़ा
45– सोहनी पत्नी धन्ना बावरी निवासी बोरड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री मोहम्मद शरीफ
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 21.09.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **तहनाल पटवार हल्का तहनाल** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 2111 रकबा 0.76 है0, 2384 रकबा 0.42 है0, 3211 रकबा 0.36 है0, 3212 रकबा 0.20 है0, 3213 रकबा 0.70 है0** कुल किता 5 रकबा 2.44 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 12, 15, 19 लगायत 25, 27 लगायत 30, 32 लगायत 36, 38 लगायत 44** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 1, 13, 14, 16 से 18, 26, 31, 37, 45** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **तहनाल** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता 5 **रकबा 2.44 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1000/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **21.09.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.